न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 50 / 2015

1 मातादीन आयु 63 साल पुत्र मालाराम जाति मेघवंशी निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 माला पुत्र सुलतान जाति गुर्जर निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक
1/1 उमराव पुत्र
1/2 रामकुमार पुत्र
1/3 सुण्डाराम पुत्र
1/4 ग्यारसी पुत्री
स्व. मालाराम जाति समस्त गुर्जर निवासीगण ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 भगवाना पुत्र सुलताना जाति गुर्जर निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृतक।
2/1 केशरी देवी पत्नी भगवानाराम
2/2 हजारी पुत्र भगवानाराम
2/3 रामनिवास उर्फ झुंथा पुत्र भगवानाराम
2/4 महावीर पुत्र भगवानाराम
जाति समसत गुर्जर निवासीगण ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2/5 झिमकोरी उर्फ धनकोरी पुत्री भगवानाराम पत्नी भैरूराम जाति गुर्जर, निवासी ढाणी बामकाला नई कोठी ग्राम पोस्ट माधोगढ़ वाया बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 गोपाल पुत्र दुलाराम
4 बनवारीलाल पुत्र दुलाराम
5 मदनलाल पुत्र भाता

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

6 फुली देवी पत्नी भाता
7 बंशीधर पुत्र सिरदारा
8 मुली देवी पत्नी सिरदारा
9 भादर पुत्र सुरजा
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
10 शाखा प्रबंधक जरिये एस.बी.बी.जे शाखा गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
12 बुजा पुत्र फता जाति मेघवंशी निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 अपील खिलाफ
निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
मुकदमा उनवानी मातादीन वगै. बनाम माला वगै. मु.नं. 68/2014
अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश
दिनांक 30.04.2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिशराम सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 7/8/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 के विरूद्ध विचारण न्यायालय के यहां एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि जमीन खसरा नम्बर 759 के पश्चिमी दक्षिणी सीमा से अर्थात कटानशुदा रास्ता खसरा नम्बर 1274/717 के पूर्वी ओर से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बीत क 4 मीटर चोड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करने के आदेश दिये जावें। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 30.04.2015 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया था और यह निवेदन किया गया कि हाल खसरा नम्बर 1274/717 के पुर्वी ओर ए से बीत क 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जावें। उक्त स्थान खसरा नम्बर 759 के दक्षिणी सीमा के सहारे है। विचारण न्यायालय ने नियमों के मुताबिक उक्त विवाद बिन्दु पर सक्षम अधिकारी के जांच करवाई और नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी ने मौके की भौतिक स्थिति की जांच दिनांक 05.07.2014 को की है और उक्त जांच रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट के पास क्लेम किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना साबित है और यह साबित है कि क्लेम किये गये रास्ते में कम क्षेत्रफल की भूमि है और वह साबित है कि खसरा नम्बर 906 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 759 में पश्चिमी सीमा से दक्षिणी सीमा पर 2 मीटर पगडंडी का रास्ता मौके पर चालू है। इसके अलावा उक्त रिपोर्ट दिनांकित 05.07.2014 से यह भी साबित है कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

उपयुक्त रास्ता नहीं है इसके पश्चात उक्त मौका रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एतराज किये जाने पर विचारण न्यायलय ने पुनः नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी से मौका रिपोर्ट मंगवाई जो निरीक्षण दिनांक 22.02.2015 को किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 को किया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02. 2015 से भी पूर्व की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 की ताईद होती है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से वैकल्पिक रास्ता होना बताकर निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस मे नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांकित 22.02.2015 को समझने में गलती की है और उक्त रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों के विरूद्ध तथ्य निर्णय जैर बहस में दर्ज किये है। मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में कही भी यह दर्ज नहीं है कि खेत खसरा नम्बर 906 के पूर्व दिशा में अपीलान्ट का कदीमी रास्ता हो तथा कही यह दर्ज नहीं है कि उक्त तथाकथित कदीमी रास्ते से अपीलान्ट का आना जाना रहा है। उक्त रिपोर्ट दिनांकित 22.02.2015 में यह भी कहीं दर्ज नहीं है कि अपीलानट के खेत तक रास्ता आवागमन हेतु चालू हो तथा मोटरगाड़ी भी इसी रास्ते से लाते व ले जाते हो बल्कि रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में पूर्व रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 के मुताबिक ही तथ्य दर्ज किये गये है। रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 में मौके पर 2 मीटर पगडण्डी चालू बताई गई है ओर रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में उक्त रास्ते को बन्द किया हुआ पाया गया है। शेष तथ्य पक्षकारान के बताये अनुसार दर्ज किया जाना साबित है। अपीलान्ट द्वारा क्लेम किये गये रास्ते में 265 मीटर भूमि जाना इस रिपोर्ट से भी साबित है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से आधार दर्ज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस में यह दर्ज किया है कि 'प्रार्थीगण (अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 12) ने अप्रार्थीगण (रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 9) की भूमि खसरा नम्बर 759 में जहां रास्ता चाहा है उस स्थान पर अप्रार्थीगण की तारबंदी है' उक्त तथ्य रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में नहीं है। विचारण न्यायालय ने किस आधार पर निर्णय जैर बहस में तारबंदी का तथ्य दर्ज किया है समझ से बाहर है। विचारण न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 को एतराज हुआ। उक्त एतराज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 की तरफ से किया गया जिस पर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर

विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.04.2015 को आदेश पारित किया और उक्त आदेश में विचारण न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से फाईडिंग दी है कि नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 की पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 से होती है। निर्णय जैर बहस में विचारण न्यायालय ने अपने द्वारा दी गई पहले की फाईडिंग के विपरित तथ्य दर्ज कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजी साक्ष्य (मौका रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 व 22.02.2015) व विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.04. 2015 में दी गई फाईडिंग से यह पूर्णतया साबित है कि अपीलान्ट द्वारा क्लेम किया गया रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं रहा। विचारण न्यायालय ने गलत आधार दर्ज कर गलत फाईडिंग देकर गलत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलान्ट फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2015 को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार फरमाया जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 906 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 759 से रास्ता चाहा है। मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 22.02.2015 के अनुसार ग्रेवल सड़क से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 906 के पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता है तथा इस रास्ते से ही उनका आना जाना है। प्रार्थीगण के खेत व ग्रेवल सड़क के मध्य खसरा नम्बर 1267/992, 1269/993, 1270/992 किस्म गै.मु. नाला की भूमि लगती है लेकिन मौके पर कोई नाला नहीं है। उक्त भूमियों से होकर प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता आवागमन हेतु चालु है तथा प्रार्थीगण मोटरगाड़ी भी इसी रास्ते से लाते व ले जाते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के भूमि खसरा नम्बर 759 से जहां रास्ता चाहा है उस स्थान पर अप्रार्थीगण की तारबन्दी है। इस प्रकार प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के कारण विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज

अनिल ... II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी दिनांक 22.02.2015 के अनुसार ग्रेवल सड़क से प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 906 के पूर्वी दिशा की ओर प्रार्थीगण का कदीमी रास्ता है तथा इस रास्ते से ही उनका आना जाना मानकर प्रार्थीगण के खेत व ग्रेवल सड़क के मध्य खसरा नम्बर 1267/992, 1269/993, 1270/992 किस्म गै.मु. नाला की भूमि लगना मानते हुए उक्त भूमियों से होकर प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता आवागमन हेतु चालु होना माना है। इसी आधार पर प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में कही भी यह दर्ज नहीं है कि खेत खसरा नम्बर 906 के पूर्व दिशा में अपीलान्ट का कदीमी रास्ता हो तथा कही यह दर्ज नहीं है कि उक्त तथाकथित कदीमी रास्ते से अपीलान्ट का आना जाना रहा है। उक्त रिपोर्ट दिनांकित 22.02.2015 में यह भी कहीं दर्ज नहीं है कि अपीलानट के खेत तक रास्ता आवागमन हेतु चालू हो तथा मोटरगाड़ी भी इसी रास्ते से लाते व ले जाते हो बल्कि रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में पूर्व रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 के मुताबिक ही तथ्य दर्ज किये गये है। रिपोर्ट दिनांक 05.07.2014 में मौके पर 2 मीटर पगडण्डी चालू बताई गई है ओर रिपोर्ट दिनांक 22.02.2015 में उक्त रास्ते को बन्द किया हुआ पाया गया है। विचारण न्यायालय ने इस संदर्भ में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में रास्ते की

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

आत्यांतिक आवश्यकता होने, प्रार्थी के खेत से कटानी रास्ते तक निकटतम दूरी का रास्ता होने के संदर्भ में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर